कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, (छात्र संस्थायें), अजमेर ।

कार्यालय आदेश

निम्नलिखित प्राथमिक शालायें जो पूर्व अजमेर राज्य से चल रही है तथा अनुदान सूची पर है, सम्बन्धित अवर जिला शिक्षा अधिकारी की अभिशंषानुसार इनकी मान्यता स्थाई मानी जावे । यह स्थाई मान्यता किसी भी समय प्रतिसंहारित (withdraw) की जा सकती है यदि संस्थायें विभागीय नियमों एवं आदेशों के अनुरूप कार्य नहीं करती हुई नहीं पाई गई । ये संस्थायें मान्यता एवं विभागीय नियमों का पालन करने के लिये बाध्य होंगी :-

१) [illegible] प्राथमिक शाला, अजमेर ।
२) इस्लाम प्राथमिक शाला, अजमेर ।
३) [illegible] प्राथमिक शाला, अजमेर ।
४) मिशन ब्वायज प्राथमिक शाला, नसीराबाद ।
५) मिशन प्राथमिक शाला, केकड़ी ।
६) सेन्ट [illegible] प्राथमिक शाला, परबतपुरा ।
७) डी०ए०वी० प्राथमिक शाला, अजमेर ।
८) [illegible] प्राथमिक शाला, अजमेर ।

ह०

जिला शिक्षा अधिकारी,
(छात्र संस्थायें), अजमेर ।

क्रमांक:- शिवि।अज।मान्य-१।१५।७५-७६ दिनांक २८-३-७६ ।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नांकित को भेजी जाती है :-

१) सम्बन्धित संस्था ।
२) अनुदान शाखा (लेखा-१२)

जिला शिक्षा अधिकारी,
(छात्र संस्थायें), अजमेर ।

कार्यालय निदेशक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

साधारण स्तर पर संचालित सेन्ट जोसफ स्कूल, पर्बतपुरा अजमेर को उच्च प्राथमिक स्तर की स्थाई मान्यता प्रदान की जाती है। विभागीय नियमों की पालना न करने पर स्थाई मान्यता रद्द की जा सकती है।

(ललित के० पंवार)
निदेशक
प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा/प्राथ/सी/19626/28/89(मुख्य)　　　दिनांक 16.8.89

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

(1) संयुक्त निदेशक (पुरुष) शिक्षा विभाग जयपुर ।
(2) जिला शिक्षाधिकारी (छात्र संस्थाऐं) अजमेर ।
(3) उप जिला शिक्षाधिकारी (छात्र संस्थाऐं) अजमेर ।
(4) सचिव, सेन्ट जोसफ उच्च प्राथमिक विद्यालय पर्बतपुरा अजमेर ।
(5) रक्षित पंजिका ।

निदेशक
प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

S1010380

क्रमांक ....

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान

अजमेर

प्रेषक :-

सचिव,
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान,
अजमेर

प्रेषित :-

प्रधानाध्यापक

सेन्ट जोसफ माध्यमिक विद्यालय,

परबतपुरा,

अजमेर – 305002

क्रमांक - मान्यता / S1010380 / 2िज/ 2857/— दिनांक 08/05/2013

स्थायी मान्यता पत्र

महोदय/महोदया,

बोर्ड से नियुक्त निरीक्षण दल द्वारा की गयी अनुशंषाओं अनुसार मान्यता समिति / बोर्ड द्वारा विचार कर आपके विद्यालय को निम्नानुसार माध्यमिक स्तर पर वर्ष 2009 से मान्यता प्रदान की जाती है।

समस्त अनिवार्य विषय : **हिन्दी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, गणित, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा,, कला शिक्षा,कम्प्यूटर साक्षरता, समाजोपयोगी उत्पादक कार्य एवं समाज सेवा, पर्यावरण शिक्षा।**

तृतीय भाषा : **संस्कृत**

भवदीय

प्रभारी उपसचिव
विशेषा...
माध्यमिक शि...
अजमेर

माध्यम : हिन्दी-अंग्रेजी

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक–प्रथम, अजमेर

Reply

आदेश

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,राज0–बीकानेर के आदेश क्रमाकः शिविरा–माध्य/मा/अ–4/21313/वो–3/2012–13 दिनांक 18–9–12 के द्वारा प्राप्त अनुमोदन की पालना के अनुसार गैर सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त संकाय/ऐच्छिक विषय को सत्र 2012–13 से प्रारम्भ करने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है ।:–

01–राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एव नियम 1993 की पालना करनी होगी,

02–माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान–अजमेर के मान्यता (सम्बद्धता) संबंधित विनियमों की पालना करनी होगी एव बोर्ड से तत्काल सम्पर्क कर मान्यता आवेदन पत्र (प्रपत्र–क) निर्धारित समय में मय शुल्क के उपलब्ध करवाना होगा,

03–सत्र 2012–13 में कक्षा–11 एव सत्र 2013–14 कक्षा–12 प्रारम्भ करनी होगी,

04–विद्यालय द्वारा भविष्य में की भी राज्य सरकार से अनुदान की मांग नहीं की जायेगी,

05–विद्यालय का नाम/भवन/वर्ग/माध्यम परिवर्तन के पूर्व विभागीय स्वीकृति प्राप्त करनी होगी,

06–राज्य सरकार/विभाग द्वारा समय–समय पर प्रसारित आदेशों/नियमों/निर्देशों का पालना करना होगा एव वांछित सूचनाऐं/अभिलेख उपलब्ध करवाने होगें,

07–कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा के मामले में राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011 की पालना अनिवार्य है । अन्यथा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 व नियम 1993 के अधीन दी गई मान्यता समाप्त की जा सकेगी ।

उपरोक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त निम्नांकित बिन्दुओं की अनुपालना सुनिशित करें:–

1–नियमानुसार न्यूनतम छात्र/छात्राओं का प्रवेश वांछिनीय है,

2–माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निरीक्षण के समय किसी प्रकार की कोताही पाई गई तो सस्था की मान्यता निरस्त करने की कार्यवाही करने पर विचार किया जायेगा,

3–संस्था को प्रतिवर्ष आवश्यक रूप से भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से प्राप्त कर जिला शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा,

4–संस्था में प्रशिक्षित अध्यापकों को ही नियुक्त किया जायेगा

5–विभाग का जांच दल संस्था का निरीक्षण कभी भी कर सकता है यदि उस समय आवश्यक सुविधाओं में कोई कमी पाई गई तो संस्था की मान्यता/क्रमौन्नति निरस्त कर दी जायेगी,

क्रस.	नाम विद्यालय	संकाय/विषय	माध्यम
01–	सेंट जोसफ उमावि, परबतपुरा, अजमेर	कला–कम्प्यूटर विज्ञान, गृहविज्ञान	हिन्दी

1650 20/9/12

क्रमाकःजिशिअ/माध्य–प्रथम/अज/सामा–1/फा–17/2012/5253

जिला शिक्षा अधिकारी,
माध्यमिक–प्रथम,अजमेर
दि: 19/9/12

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

01–निदेशक,मा0शि0राज0बीकानेर

02–सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान–अजमेर

03–संबंधित संस्था प्रधान

04–निर्देशन पत्रावली ।

जिला शिक्षा अधिकारी,
माध्यमिक–प्रथम,अजमेर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक–प्रथम, अजमेर

आदेश

आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा, राज0–बीकानेर के आदेश कमाकः शिविरा–माध्य/मा/अ–4/21313/2007–08/वो–II/ दिनांक 27–4–07 के द्वारा प्राप्त अनुमोदन की पालना के अनुसार गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सत्र 2007–08 से उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमौन्नत करने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है ।:–

01–राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एव नियम 1993 की पालना करनी होगी,

02–माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान–अजमेर के मान्यता (सम्बद्धता) संबंधित विनियमों की पालना करनी होगी एव बोर्ड को मान्यता आवेदन पत्र (प्रपत्र–क) मय शुल्क के उपलब्ध करवाना होगा,

03–सत्र 2007–08 में कक्षा–11 एव सत्र 2008–09 कक्षा–12 प्रारम्भ करनी होगी,

04–राज्य सरकार द्वारा अनुदान देय नहीं होगा,

05–विद्यालय का नाम/भवन/वर्ग/माध्यम परिवर्तन के पूर्व विभागीय स्वीकृति प्राप्त करनी होगी,

06–राज्य सरकार/विभाग द्वारा समय–समय पर प्रसारित आदेशों/नियमों/निर्देशों की पालना करनी होगी एव वांछित सूचनाऐं/अभिलेख उपलब्ध करवाने होगें,

उपरोक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त निम्नांकित बिन्दुओं की अनुपालना सुनिशित करें:–

01–नियमानुसार न्यूनतम छात्र/छात्राओं का प्रवेश वांछिनीय है,

02–माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निरीक्षण के समय किसी प्रकार की कोताही पाई गई तो संस्था की मान्यता निरस्त करने की कार्यवाही करने पर विचार किया जायेगा,

03–संस्था को प्रतिवर्ष आवश्यक रूप से भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से प्राप्त कर जिला शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा,

04–संस्था में प्रशिक्षित अध्यापकों को ही नियुक्त किया जायेगा

05–आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस की अवधि तक विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा सकेगा ।

06–विभाग का जांच दल संस्था का निरीक्षण कभी भी कर सकता है यदि उस समय आवश्यक सुविधाओं में कोई कमी पाई गई तो संस्था की मान्यता/क्रमौन्नति निरस्त कर दी जायेगी,

कस.	नाम विद्यालय	संकाय/विषय	माध्यम
01–	सेंट जोसफ मावि, परबतपुरा, अजमेर	कला–हिन्दी, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति शा0, भूगोल	हिन्दी

जिला शिक्षा अधिकारी,
माध्यमिक–प्रथम,अजमेर

कमाकःजिशिअ/माध्य–प्रथम/अज/सामा–1/फा–17/2007/12016-18 दिः 3/5/07

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

01–उपशासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–6)विभाग, राजस्थान–सरकार,जयपुर,

02–आयुक्त माध्यमिक शिक्षा, राज0बीकानेर,

03–सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान–अजमेर

04–उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, अजमेर मण्डल, अजमेर

05–संबंधित संस्था प्रधान 06–निर्देशन पत्रावली ।

जिला शिक्षा अधिकारी,
माध्यमिक–प्रथम,अजमेर

संत जोसफ

आ/4454

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक–प्रथम, अजमेर

आदेश

आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा,राज0–बीकानेर के आदेश क्रमाकः शिविरा–माध्य/मा/अ–4/21313/वी–3/2011–12 दिनांक 26–4–11 के द्वारा प्राप्त अनुमोदन की पालना के अनुसार गैर सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त संकाय/ऐच्छिक विषय को सत्र 2011–12 से प्रारम्भ करने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है ।:–

01–सत्र 2011–12 में कक्षा–11 एव सत्र 2012–13 कक्षा–12 प्रारम्भ करनी होगी,

02–माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान–अजमेर के मान्यता (सम्बद्धता) संबंधित विनियमों की पालना करनी होगी एव बोर्ड से तत्काल सम्पर्क कर मान्यता आवेदन पत्र (प्रपत्र–क) निर्धारित समय में मय शुल्क के उपलब्ध करवाना होगा,

03–विद्यालय द्वारा भविष्य में की भी राज्य सरकार से अनुदान की मांग नहीं की जायेगी,

04–विद्यालय का नाम/भवन/वर्ग/माध्यम परिवर्तन के पूर्व विभागीय स्वीकृति प्राप्त करनी होगी,

05–राज्य सरकार/विभाग द्वारा समय–समय पर प्रसारित आदेशों/नियमों/निर्देशों का पालना करना होगा एव वांछित सूचनाऐं/अभिलेख उपलब्ध करवाने होगें,

06–राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एव नियम 1993 की पालना करनी होगी,

उपरोक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त निम्नांकित बिन्दुओं की अनुपालना सुनिशित करें:–

1–नियमानुसार न्यूनतम छात्र/छात्राओं का प्रवेश वांछिनीय है,

2–माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निरीक्षण के समय किसी प्रकार की कोताही पाई गई तो सस्था की मान्यता निरस्त करने की कार्यवाही करने पर विचार किया जायेगा,

3–संस्था को प्रतिवर्ष आवश्यक रूप से भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से प्राप्त कर जिला शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा,

4–संस्था में प्रशिक्षित अध्यापकों को ही नियुक्त किया जायेगा

5–विभाग का जांच दल संस्था का निरीक्षण कभी भी कर सकता है यदि उस समय आवश्यक सुविधाओं में कोई कमी पाई गई तो संस्था की मान्यता/क्रमोन्नति निरस्त कर दी जायेगी,

क्रस.	नाम विद्यालय	संकाय/विषय	माध्यम
01	**सेंट जोसफ उमावि, परबतपुरा, अजमेर**	**वाणिज्य–लेखाशा, कम्प्यूटर विज्ञान, व्यावसायिक प्रबन्ध, अर्थशास्त्र, गणित**	**हिन्दी**

जिला शिक्षा अधिकारी,
माध्यमिक–प्रथम,अजमेर
दि: 28/4/11

क्रमाक:जिशिअ/माध्य–प्रथम/अज/सामा–1/फा–17/2011/4609

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

01–आयुक्त मा0शि0राज0बीकानेर

03–सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान–अजमेर

04–उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, अजमेर मण्डल, अजमेर

05–संबंधित संस्था प्रधान

06–निर्देशन पत्रावली ।

जिला शिक्षा अधिकारी,
माध्यमिक–प्रथम,अजमेर